न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—165 / 2010 (2010 / 00028) वाद पत्र

उनवान

1—शंकरलाल पिता अम्बालाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1 / 1—सुमनदेवी बेवा शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 2—कल्याणसिंह पिता शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 3—दिनेशकुमार पिता शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 4—नवीनकुमार पिता शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 5—सुरज्ञानदेवी पुत्री शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—मेहरबानसिंह पिता भंवर लाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1 / 1—पर्वतसिह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 2—महेन्द्रसिंह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 3—जितेन्द्रसिंह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 4—नरेन्द्रसिंह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 5—जशोदाकंवर पुत्री मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 6—मीनाकंवर पुत्री मेहरबानसिह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 7—मीनाकंवर पुत्री मेहरबानसिह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 8—विष्णुकंवर पुत्री मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1 / 9—हंसाकंवर बेवा मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. पर्वत सिंह, हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण
2. विजयसिंह, जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 22.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झड़ौल के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 886 व 887 स्थित थी और इनका साबिक नम्बरो का काफी बड़ा रकबा था। वादी को इन नम्बरो मे से 2 बीघा भूमि आराजी संख्या 886 मे से व 3 बीघा भूमि आराजी संख्या 887 मे से अलोट हुई और दिनांक 14.11.1970 को जरिये इन्तकाल संख्या 611 के यह भूमि वादी के खाते [illegible] दारी से दर्ज हो गई और वक्त अलोट से इन आराजियात में जिस जगह वादी को [illegible] किया गया उस जगह 35 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज होकर [illegible] रहा है। उक्त भूमि बड़े नम्बरो मे से आवटित होने के कारण मौके पर कब्जा तो सिपुर्द कर दिया लेकिन [illegible] तरमीम नही किया गया और उन्ही नम्बरो मे से प्रतिवादी संख्या 1 को भी भूमि आंवटित हुई उसको भी बिना तरमीम किये आराजी संख्या 886 / 5क रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा शेष आराजियात के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

अकिंत कर दिया जबकि नक्शे में फीट नही किया गया। वर्तमान सेटलमेन्ट में वादी को अलोट हुई भूमि जिसके नक्शे फीट किये बिगेर 886/6 रकबा 2 बीघा, 887/7 रकबा 3 बीघा अकिंत कर उसके नये नम्बर आराजी संख्या 2156 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 2148 रकबा 0.65 है0 अकिंत कर दिया जबकि 886/6 के नवीन आराजी संख्या 2152 पड़ने चाहिये जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है आराजी संख्या 2152 नही डालकर आराजी संख्या 2156 रकबा 0.43 है0 डाल दिये तथा वादी के कब्जे की भूमि वर्तमान में आराजी संख्या 2152 को गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जिसका वादी कानूनी तौर पर विकल्प व कब्जा मुखालपाना के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। वादी वक्त अलोटमेन्ट से अपनी भूमि के चारो और थोहरो की बाड़ कर रखी है और इसको उपजाउ बनाने में काफी पैसा खर्च किया है और वादी द्वारा उपजाउ बनाने से प्रतिवादी के मन में फितुर आने के कारण उसके नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण वादी को उसकी भूमि से बेदखल करना चाहता है और भूमि को हस्तान्तरित करना चाहता है। वादी लाठी के बल पर मुकाबला नही कर सकता है। इसलिये प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाना अनिवार्य हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि आराजी संख्या 2152 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे तथा वादी के नाम अकिंत आराजी संख्या 2156 प्रतिवादी 1 के नाम अकिंत कराई जावे। उक्तानुसार इन्द्राज दुरस्ती करायी जावें। एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि आराजी संख्या 2152 को बेदखल नही करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दंखलदांजी नही करे तथा नही उक्त आराजी को किसी अन्य को हस्तान्तरित ही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना मे प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि आराजी संख्या 886 व 887 ग्राम झड़ौल के बैरून हल्का आबादी में अविस्थत थी परन्तु वादी को किन किन आराजी से कब कब कितनी भूमि आंवटित हुई यह तथ्य प्रतिवादी के जानकारी में नही है। वादवर्णित आवंटित भूमि को नक्शे मे फीट किया या नही यदि नही किया तो राजस्व अधिकारियो की लापरवाही रही होगी इसके लिये प्रतिवादी उत्तरदायी नही है। यदि भू प्रबन्ध विभाग ने वादी के आधिपत्य वाली आराजी नम्बर में परिवर्तन कर दिये उन्हे भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत दुरस्त किया जा सकता है आराजी संख्या 2152 रकबा 0.49 है0 प्रतिवादी के नाम अभिलिखित होकर उसी का आधिपत्य है तथा वादी अपने वाद पत्र के माध्यम से आराजी संख्या 2156 के बजाय आराजी संख्या 2152 को अपने नाम कराना चाहता है जबकि दोनो आराजियात के क्षैत्रफल में अन्तर [illegible] विनिमय की तारीफ में आता है। विशेष कथन के रूप में निवेदन किया कि वा[illegible]तिवादी को जानबुझकर परेशान करने की नियत से गलत आधारो पर [illegible] संख्या 2152 क्षैत्रफल 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके भू प्रबन्ध [illegible] 886/5क थे, दिनांक 30.05.1965 को प्रतिवादी के काका निर्भयसिंह आत्मज मोतीलाल [illegible] आवंटित हुई थी उस आराजी को नक्शे में 886/1 में तरमीम कर कब्जा सिपूर्द किया था कालान्तर में इसी 886/1 का नम्बर 886/5क पड़ा। सन् 1965 से लगाकर 1981 तक आवंटित भूमि पर निर्भयसिंह का आधिपत्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

रहा है तथा दिनांक 15.07.1981 को पजींबद्व विक्रिय पत्र से प्रतिवादी ने आधिपत्य प्राप्त किया तभी से प्रतिवादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। विक्रय पत्र में निम्न पड़ौस अकिंत किये जो निम्न है। पूर्व में चारागाह भूमि व रास्ता आम, पश्चिम में सुवा लाल आत्मज गणेशलाल लुहार की आराजी, उतर में शंकरलाल पिता पन्नालाल तेली व नारायण लाल आत्मज रंगलाल बापना की आराजियात दक्षिण में जयराम आत्मज सुड़ा बलाई की आराजी। प्रतिवादी ने दिनांक 07.06.2005 को विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया उस पर आधिपत्य उसी का पाया गया। प्रमाण में प्रमाणित प्रति सीमा ज्ञान प्रतिवाद के साथ प्रस्तुत है। अत वादी का वाद पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादपत्र के अनुसार ग्राम झड़ौल की आराजी संख्या 2152 जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है पर वादी का कब्जा वक्त आंवटन से है जिसको वादी जरिये घोषणात्मक डिक्री के अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है तथा आराजी संख्या 2156 जो वादी के नाम दर्ज है पर प्रतिवादी का कब्जा वक्त आंवटन से होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा इन्द्राज दुरस्ती करवाने की डिक्री भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 2152 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसे विक्रय नही करे व वादी को बेदखल नही करे इस हेतु वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

3. आया वादी का उक्त कृत्य विनिमय की तारीफ में आता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अनुचित व अवैध है जिसकी कानुनन इजाजत नही दी जा सकती है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त वाद के सम्बन्ध में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट भी ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम झड़ौल प.म. झड़ौल में आराजी नम्बर 2148 रकबा 0.65 है0, 2156 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमियां खातेदारान कल्याणसिंह दिनेशसिंह नवीनसिंह पिता शंकरलाल सुरज्ञानकंवर पुत्री शंकरलाल सुगनकंवर उर्फ हरकंवर बेवा शंकरलाल 1/2 बड़वा निवासी झड़ौल राधेश्याम पिता बादरसिंह विमला, कमला सीमा पुत्रीयां बादरसिंह भंवरबाई पत्नि बादरसिंह 1/2 बड़वा सा. झड़ोल के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की नकल खा.स. 84 संलग्न है। उक्त आराजी संख्या 2148 रकबा 0.65 साबिक आराजी संख्या 887/7 रकबा 03 बीघा एवं आराजी संख्या 2156 रकबा 0.43 है0 साबिक आराजी संख्या 886/6 रकबा 2 बीघा से बने है मिलान क्षैत्रफल की नकल संलग्न है। आराजी संख्या 2156 रकबा 0.43 है0 वर्तमान में खाली पड़ा होकर किसी का कब्जा नही है। इसके उत्तर में बिलानाम आराजी नम्बर 2149 रकबा 0.81 है0 स्थित है। इसके दक्षिण एवं पूर्व में एवं पश्चिम में खातेदारी आराजी नम्बर क्रमशः 2157, 2154 एवं 2144 स्थित है। इस आराजी संख्या 2156 के दक्षिण एवं पूर्व में थोहर की बाड़ लगी हुई है।

इसी प्रकार आराजी संख्या 2152 रकबा 0.49 है0 भूमि खातेदारान पर्वतसिंह, महेन्द्रसिंह, सावंतसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता महरबानसिंह ... सीमा पुत्रीयां महरबानसिंह हंसकवंर बेवा महरबान सिंह बड़वा ... के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी की नकल संलग्न है। उक्त आराजी नम्बर 2152 रकबा 0.49 है0 साबिक आराजी संख्या 886/5क रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा से बना है प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल संलग्न है। इस आराजी संख्या 2152 रकबा 0.49 है0 पर वर्तमान में किसी का कब्जा नही होकर पड़त पड़ा हुआ है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात 2148, 2152 एवं 2156 ग्राम झड़ोल से मुरड़ा जाने वाले डामरीकृत सड़क के पश्चिम में करीब 2 किलोमीटर दुर स्थित है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के समर्थन में कल्याणसिंह पिता शंकरलाल बड़वा निवासी ग्राम झड़ौल, चम्पालाल पिता नारू जाट निवासी झड़ौल, उदयराम पिता गणेश लुहार निवासी झड़ौल के बयान कराये गये तथा वाद के साथ महरबान सिंह के खाते की नकल संवत 2060 से 2065 पेश की जो प्रदर्श है। जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 प्रस्तुत की जो प्रदर्श 2 है। नक्शा ट्रेस हाल पेश किया जो प्रदर्श 3 है। साबिक नक्शा आराजी संख्या 886, 887 का पेश किया जो प्रदर्श 4 है। जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 जो शंकरलाल के खाते की पेश जो प्रदर्श 5 है। जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 की पेश जो प्रदर्श 6 है। नामान्तकरण संख्या 611 की प्रमाणित प्रतिया पेश की जो प्रदर्श 7 है। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 8 है। जमाबन्दी सवंत 2028 से 2031 की पेश की जो प्रदर्श 9 है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 10 है। शंकरलाल द्वारा आवंटन हेतु प्रेषित आवेदन एवं आवेदन पर आरीजी संख्या 602/4 मे से 5 बीघा भूमि देना का आदेश हुआ की प्रमाणित पेश की जो प्रदर्श 11 है। आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श 12 है। शंकरलाल के द्वारा तहसीलदार को आवंटित भूमि के बजाय अन्य जगह भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श 13 है। प्रार्थी द्वारा 3 बीघा भूमि आराजी संख्या 887 में आवंटन हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.08.1967 को आराजी संख्या 887 में 3 बीघा भूमि पैमुद करने का आदेश किया जो प्रदर्श 14 है। आराजी संख्या 887 में 3 बीघा भूमि कब्जा सिर्पूदगी की पर्चा मौका की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 15 है। साबिक आराजी संख्या 887 के ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 16 है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में पर्वत सिंह पिता महरबानसिंह एवं हंसादेवी पत्नि महरबानसिंह के बयान कराये गये एवं निर्भयसिंह को आराजी संख्या 886 में 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवटन हुई की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श डी 1 है। कब्जा सिपूर्दगी के पर्चा मौका की प्रति पेश जो प्रदर्श डी 2 है। आराजी संख्या 886 एवं 825 की साबिक नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की जो डी 3 है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान मुख्य कथन किया कि वादी शंकरलाल को साबिक आराजी संख्या 886 में 2 बीघा व 887 में 3 बीघा भूमि आवंटन हुई जो नामान्तकरण संख्या 611 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। साबिक आराजी संख्या 886/6 रकबा 2 बीघा के नवीन आराजी संख्या 2156 रकबा 0.43 है0 एवं 887/7 रकबा 3 बीघा के नवीन आराजी संख्या 2148 रकबा 0.65 है0 कायम किये गये। आराजी संख्या 2156 पर प्रतिवादी का कब्जा है और 2152 पर वादी का कब्जा है। आराजी संख्या 2152 व 2156 दोनो साबिक आराजी संख्या 886 से ही कायम किये गये है [illegible] भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा बटा नम्बर डालने में गलती कर दी जिससे [illegible] और प्रतिवादीगण के नाम भूमि दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में [illegible] कराया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि साबिक आराजी संख्या 886 में 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि निर्भयसिंह को आवंटित हुई और निर्भयसिंह द्वारा भूमि को आबाद कर वर्ष 1981 तक कब्जा रहा है और उसके बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्भयसिंह के द्वारा प्रतिवादी महरबानसिंह को दिनांक 15.07.1981 को भूमि विक्रय करने प्रतिवादी क्रय दिनांक 15.07.1981 को कब्जा प्राप्त कर आदिनांक तक काबिज है। प्रतिवादी को जहां भूमि आंवटन हुयी तभी से उसी जगह काबिज है और राजस्व रेकार्ड में भी भूमि दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया है वाद खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में वर्णित वाद, प्रतिवाद एवं इनके समर्थन में संलग्न दस्तावेज, बयानात आदि का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया जिसके अनुसार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. आया वादपत्र के अनुसार ग्राम झड़ौल की आराजी संख्या 2152 जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है पर वादी का कब्जा वक्त आंवटन से है जिसको वादी जरिये घोषणात्मक डिकी के अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है तथा आराजी संख्या 2156 जो वादी के नाम दर्ज है पर प्रतिवादी का कब्जा वक्त आंवटन से होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा इन्द्राज दुरस्ती करवाने की डिकी भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा इस आराजी के साबिक खसरा नम्बर का नक्शा ट्रेस पेश किया गया है जो इस प्रकरण में प्रदर्श 16 है इस नक्शा ट्रेस के चारो पड़ौस की तरफ किसी आराजी का इन्द्राज नही है जिससे मौके की पहचान की जा सके केवल मात्र नक्शे के रूप में डिब्बा बना रखा है जिसको कही पर भी सेट किया जा सकता है। राजस्व नक्शे में किसी भी मुस्तकिल निशानात से इस आराजी के स्थल को आईडेन्टीफाई नही किया जा सकता है इसके साथ ही मूलतः वादी को साबिक आराजी संख्या 602 में 5 बीघा भूमि आवंटन हुई जो भूमि काबिल काश्त नही होने, कंकरीली जमीन होने से आवंटी वादी के द्वारा दिनांक 27.07.1966 को तहसीलदार सहाड़ा को आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 602 में आवंटित भूमि तालाब के पिछोड़ा की होने से और उसर होने से नही चाहता है वादी के आवेदन पर आराजी संख्या 886 में बालु को जमीन आवंटन हुई जिसको बालु नही लेना चाहता है जिसका आंवटन निरस्त होने से वादी को आराजी संख्या 886 में 5 बिघा भूमि देने का आदेश हुआ जो प्रदर्श 13 है, किन्तु वादी प्रार्थी के द्वारा पुनः दिनांक 27.07.1967 को एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 886 में मात्र 2 बीघा जमीन ही पोते है ओर इस आराजी संख्या के पास में आराजी संख्या 887 है उसमें 3 बीघा जमीन प्रार्थी द्वारा चाही गई। वादी प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 08.08.1967 को तहसीलदार सहाड़ा के द्वारा आदेश जारी किया गया कि प्रार्थी को आराजी संख्या 886 मे से 5 बीघा भूमि पेमुद करने का आदेश होना प्रकट है मगर मौके पर उक्त नम्बर का रकबा सिर्फ 2 बीघा ही पोते होने से प्रार्थी को आराजी संख्या 886 में 2 बीघा भूमि एवं आराजी संख्या 887 में रकबा पोते होने से आराजी संख्या 887 मे रकबा 3 बीघा पेमुद करने का आदेश जारी हुआ जो [illegible] पालना में पटवारी हल्का द्वारा आराजी संख्या 887 में 3 बीघा भूमि का कब्जा [illegible] जो प्रदर्श 15 है। आराजी संख्या 887 में आवटिंत 3 बीघा भूमि के [illegible] किया जो प्रदर्श 16 है। इस नक्शा ट्रेस का कोई पड़ौस अकित [illegible] आराजी संख्या 886 में 2 बीघा भूमि एवं 887 में 3 बीघा भूमि आवंटित हुई है। उस दौरान [illegible] स्वयं के द्वारा यह स्वीकार किया कि 2 बीघा भूमि के पास ही आराजी संख्या 887 में बिलानाम भूमि उपलब्ध है जिसमें 3 बीघा भूमि दी जावे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को जो 3 बीघा भूमि आवंटित हुई है वो आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 886 में आवंटित 2 के आसपास ही हुई है। साबिक आराजी संख्या 886 में दर्ज रकबा 2 बीघा के नवीन भू प्रबन्ध में आराजी संख्या 2156 रकबा 0.43 है0 एवं साबिक आराजी संख्या 887 में आंवटित 3 बीघा भूमि के नवीन भू प्रबन्ध में आराजी संख्या 2148 रकबा 0.65 है0 दर्ज किये गये है। उक्त आराजी संख्या 2156 एवं 2148 दोनो आसपास नम्बर है वादी द्वारा आराजी संख्या 2152 जिसका रकबा 0.49 है0. पर अपना कब्जा बताकर वाद पेश किया गया है जबकि वादी को आवंटित भूमि का रकबा 0.43 है0 बनता है और प्रतिवादी को आवंटित भूमि का रकबा 0.49 है0 बनता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबा के मुकाबले आराजी संख्या 2152 का रकबा अधिक है जो आवंटन के विपरीत है और इस तनकी में वादी का मुख्य कथन रहा कि आराजी संख्या 2152 जो प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज है जिस पर कब्जा वादी का होना बताया एवं वादी के नाम दर्ज आराजी संख्या 2156 पर कब्जा प्रतिवादी का बताते हुए वाद पेश किया गया है। दोनो आराजियात के मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर से ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.10.2020 में स्पष्ट रूप से अंकन किया कि आराजी संख्या 2156 रकबा 0.43 है0 भूमि वर्तमान में खाली पड़ी हुई होकर किसी का कब्जा नही है जबकि आराजी संख्या 2148 रकबा 0.65 है0 भूमि पर वादी खातेदार का कब्जा होकर चारो ओर थोहर की बाड़ लगा रखी है। इसी तरह आराजी संख्या 2152 जो प्रतिवादी के वारीसान के नाम दर्ज होना अकिंत करते हुए आराजी संख्या 2152 रकबा 0.49 है0 भूमि पर भी किसी का कब्जा नही होकर पड़त पड़ा हुआ होना बताया गया। उक्त मौका रिपोट के आधार पर पाया कि वादी का आराजी संख्या 2152 पर कब्जा नही है। वादी इस तनकी को साबित कराने में असफल रहने से इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

2. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 2152 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसे विक्रय नही करे व वादी को बेदखल नही करे इस हेतु वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। तनकी नम्बर 2, तनकी नम्बर 1 से सम्बन्धित है। वादी तनकी नम्बर 1 को साबित कराने में असफल रहा है। आराजी संख्या 2152 रकबा 0.49 है0 भूमि साबिक आराजी संख्या 886/5 का रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से कायम हुआ है जो उक्त साबिक नम्बर में श्री निर्भयसिंह पिता मोती लाल बड़वा को आवंटित हुई और आवंटी निर्भयसिंह के द्वारा आराजी संख्या 886/5क रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को दिनांक 15.07.1981 को विक्रय करने से प्रतिवादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की गई है। प्रतिवादी द्वारा क्रय की गई भूमि के नवीन नम्बर 2152 दर्ज हुए है जो साबिक रकबे के अनुरूप ही है। उक्त नम्बर को वादी अपने नाम दर्ज कराना चाहता है और प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराना चाहता है जो उचित नही है। प्रतिवादी को क्रयशुदा भूमि से बेदखल कर [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। प्रतिवादी के द्वारा क्रय की [illegible] से कोई आपत्ति थी तो रजिस्टर्ड दस्तावेज को चुनौती दी जा सकती [illegible] वाद पेश किया जो उचित नही है प्रतिवादी खातेदार है खाते[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादी इस तनकी को साबित कराने में भी असफल रहा है जिससे इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादी का उक्त कृत्य विनिमय की तारीफ में आता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अनुचित व अवैध है जिसकी कानुनन इजाजत नही दी जा सकती है।

जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 एवं 49 में विनिमय के प्रावधान है किन्तु भूमि विनिमय दोनो पक्षो की सहमति से भूमि को एक चक बनाने के लिये और समान रकबा और समान किस्म की भूमि होने पर विनिमय किये जाने के प्रावधान है किन्तु इस प्रकरण में प्रतिवादी की बिना सहमति एवं मर्जी के यह वाद पेश किया गया है हांलाकि वादी के द्वारा यह वाद धारा 88, 89, 188 के तहत् पेश किया गया है किन्तु प्रकरण की परिस्थिति और जो तथ्य वाद में अकिंत किये गये है वो विनिमय की श्रेणी में आते है। बिना पक्षकारो की सहमति से एवं रकबे की असमानता के आधार पर विनिमय किया जाना नियमो के विपरीत है। प्रतिवादी के द्वारा इस तनकी को साबित कराया है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादी अपना वाद रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए वाद पेश किया है जबकि वादी को कोई आपत्ति थी तो प्रतिवादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि कय की उसको चुनौती देने में स्वंतत्र था जो चुनौती नही दी गई। वादी का कब्जा प्रतिवादी की भूमि पर नही है वादी व प्रतिवादी की भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है रकबा भी अलग अलग है ऐसी स्थिति में वादी अपने वाद को प्रमाणित कराने में असफल रहा जिसके आधार पर वाद स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद रेकार्ड एवं मौके से विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.03.2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—165/2010 (2010/00028) वाद पत्र

उनवान

1—शंकरलाल पिता अम्बालाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—सुमनदेवी बेवा शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—कल्याणसिंह पिता शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—दिनेशकुमार पिता शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4—नवीनकुमार पिता शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—सुरज्ञानदेवी पुत्री शंकरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण।

बनाम

1—मेहरबानसिंह पिता भंवर लाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—पर्वतसिंह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—महेन्द्रसिंह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—जितेन्द्रसिंह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4—नरेन्द्रसिंह पिता मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—जशोदाकंवर पुत्री मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6—मीनाकंवर पुत्री मेहरबानसिह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/7—मीनाकंवर पुत्री मेहरबानसिह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/8—विष्णुकंवर पुत्री मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/9—हंसाकंवर बेवा मेहरबानसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद रेकार्ड एवं मौके से विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:32:02 IST
Reason: SelfAttested

22·03·2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा